



13

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-46/2021-22

मोमीता मालतो

बनाम्

रंजन मालतो एवं अन्य

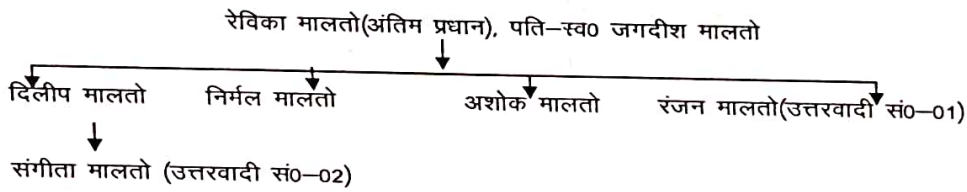
—: आदेश :—

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता मोमीता मालतो, पति-शनिचर मालतो, सा0-छोटा भोड़ा, थाना-ललमटिया, अनुमंडल-महागामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0-18/17-18 के आदेश दिनांक-11.02.2021 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0-18/2017-18 आदेश दिनांक-11.02.2021 के द्वारा उत्तरवादी रंजन मालतो को मौजा छोटा भोड़ा का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-छोटा भोड़ा प्रधानी मौजा है। रेविका मालतो मौजा के अंतिम प्रधान थी। रेविका मालतो की मृत्यु 17.10.2017 को हो गयी है। रेविका मालतो का वंशावली निम्न प्रकार है:-



उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0-01 रंजन मालतो ने मौजा छोटा भोड़ा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संधाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दिया। अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी सं0-02 के द्वारा भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संधाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा सभी उम्मीदवारों के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुमंडल

पदाधिकारी, महागामा के द्वारा उत्तरवादी सं०-०१ की आम स्वीकार्यता के संबंध में सौलह आना रैयतों को नोटिस जारी नहीं किया गया था। जबकि वंशानुगत उम्मीदवारों को भी मौजा के सौलह आना रैयतों का सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा संधाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली १९५० के अनुसूचि-V के नियम ३ का पालन नहीं किया गया है। जबकि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का इस संबंध में अनेकों निर्णय है कि वंशानुगत प्रधान के नियुक्ति में भी रैयतों का राय लेना आवश्यक है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा नियम संगत तरीके से उत्तरवादी सं०-१ रंजन मालतो को नियुक्त नहीं किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी०ए० केश नं०-१८/२०१७-१८ आदेश दिनांक-११.०२.२०२१ को निरस्त करते हुए नियमानुकूल तरीके से मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमांड करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं०-०१ रंजन मालतो के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली १९५० के अनुसूचि V के नियम-३ स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रधान का पद वंशानुगत होता है और अगला उत्तराधिकारी जो योग्य है, वह प्रधान होगा। यह स्पष्ट है कि मौजा-छोटा भोड़ाय के अंतिम प्रधान रेविका मालतो थी। उनकी मृत्यु के कारण प्रधानी पद रिक्त हुआ था। उत्तरवादी संख्या-०१ रंजन मालतो गत प्रधान रेविका मालतो के पुत्र है। गत प्रधान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के आधार पर रंजन मालतो उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने गत प्रधान के पुत्र होने के आधार पर प्रधानी पद पर नियुक्त करने के लिए उत्तरवादी संख्या-०१ रंजन मालतो के नाम की अनुशंसा की गई। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्ता प्रधानी पद के लिए योग्य नहीं थे। क्योंकि उनका गत प्रधान से कोई संबंध नहीं था। इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। उनका यह कथन भी गलत है कि मौजा के रैयतों को नोटिस नहीं दिया गया था। बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिस दिया गया था। रैयतों की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उत्तरवादी संख्या-०१ को उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा-छोटा भोड़ाय

का प्रधान नियुक्त किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा नियम विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

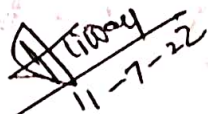
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-छोटा भोड़ाय नं०-17 प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान रेविका मालतो थी। उत्तरवादी संख्या-01 रंजन मालतो, रेविका मालतो के पुत्र है। गत प्रधान के अन्य पुत्रों के द्वारा रंजन मालतो के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। उत्तरवादी रंजन मालतो का दावा वंशानुगत है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा वंशानुगत के आधार पर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी रंजन मालतो को मौजा-छोटा भोड़ाय का प्रधान नियुक्त किया है। अपीलकर्ता का यह आरोप कि निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी रंजन मालतो के आम स्वीकार्यता के संबंध में मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश नहीं दिया गया था, भी निराधार प्रतीत होता है। क्योंकि निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया था। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

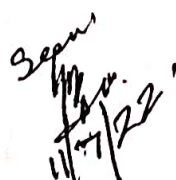
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी०ए० केश नं०-18/17-18 के आदेश दिनांक-11.02.2021 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड़डा।


उपायुक्त,
गोड़डा।


11-7-22


11/7/22

सी००१०-37
08.08.22